भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2670
दिनांक 04 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीवन रक्षक दवाओं की कमी

2670. श्री पी. रविन्द्रनाथः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में हाल के पिछले तीन वर्षों के दौरान जीवन रक्षक दवा-एंटीवेनम की कमी पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 2023 तक सांप के काटने के कारण होने वाली मृत्यु के मामलों की संख्या को आधा करने के डब्ल्यूएचओ के लक्ष्य का पालन करते हुए देश भर में एंटीवेनम की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है/उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

क) से (घ): "सर्प विषरोधी सीरम" आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013), के अंतर्गत एक अनुसूचित दवा है। आवश्यक दवाओं, अर्थात अनुसूचित दवाओं के उत्पादन और उपलब्धता की निगरानी औषध विभाग (डीओपी) के तत्वावधान में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय देश भर में भी जीवन रक्षक- विषरोधी की कमी को दूर करने के लिए सर्प विषरोधी (एएसवी) की उपलब्धता की निगरानी करता है।

एनपीपीए को वर्ष 2021 में "सर्प विषरोधी सीरम" की कमी के संबंध में दो शिकायतें मिलीं और जुलाई, 2021 से 27 जुलाई 2023 तक एनपीपीए को " सर्प विषरोधी सीरम " की अनुपलब्धता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जबकि तीन राज्यों ने वर्ष 2022 में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) को सर्प विषरोधी सीरम (एएसवी) की कमी की सूचना दी थी, वर्ष 2023 में एनसीडीसी को एएसवी की कोई कमी नहीं बताई गई थी। इसकी कमी की रिपोर्ट करने वाले राज्यों को सीआरआई, कसौली से इसे प्राप्त करने के लिए सूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त, एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान में भारत में आठ अनुमोदित विनिर्माताओं के पास प्रति वर्ष सर्प विष-रोधी की 67.52 लाख शीशियों का उत्पादन करने की वार्षिक स्थापित क्षमता है।

****